न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भजेड़ा(रैणी)
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस

वाद संख्याः 3/76/2018

1 पदम सिंह पुत्र रामकरण जाति मीना

2 गजानन्द पुत्र रामकरण मीना निवासी ग्राम बावड़ी खेड़ा त0 बसवा जि0 दौसा–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रैणी–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान लैण्ड़ रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक 4.5.2018

Web Copy Not Official

आज यह प्रार्थना पत्र कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भजेड़ा तहसील रैणी पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खं0 नं0 540/0.46,544/0.95,548/0.48,549/0.50 वाके ग्राम आकोदा तहसील रैणी में स्थित है। उक्त आराजी के साबिक ख0 नं0 281 रकबा 9बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम आकोदा तहसील रैणी थे। उक्त साबिक आराजी को प्रार्थीगण के पिता रामकरण व रधुवर दयाल, रामजीलाल पुत्रान भौरेलाल मीना नि0 बावड़ीखेड़ा तह0 बसवा ने श्री भीकम सिंह करण सिंह पुत्रान कबुल सिंह से जर्ये बयनामा दिं0 14.05.1982 को क्रय कि थी जिस पर प्रार्थीगण का पिता व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज होकर कास्त करते है उपरोक्त बयनामा के आधार पर आराजी का करण सिंह के 1/2 हिस्से का नामंतकरण सं0 148 जो उक्त क्रेतागण के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम रामकरण पुत्र रधुवर दयाल के स्थान पर रामचरण पुत्र रधुवर दयाल दर्ज कर दिया जो गलत है इस गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

इसी आराजी के विक्रेता भीकम सिंह पुत्र कबुल सिंह का 1/2 हिस्सा जोकि नामातंकरण संख्या 148 में दर्ज होने से रह गया था के बाबत वाद न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़ में प्रस्तुत किया गया उक्त दावा में जो डिग्री जारी हुई और उक्त डिग्री के आधार पर जो नामातंकरण सख्या 427 दिनांक 11.06.2016 को दर्ज व स्वीकार हुआ है उसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरण पुत्र रधुवर दयाल सही दर्ज है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी में जो प्रार्थीगण के पिता का नाम रामचरण पुत्र रधुवरदयाल दर्ज है उसकों मुताबिक बयनामा सही नाम रामकरण पुत्र रधुवर दयाल दुरस्त करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर जॉच रिर्पोट तलब की गई। तहसीलदार रैणी पटवारी हलका भजेड़ा द्वारा आज दिनांक 04.05.2018 को कैम्प कोर्ट भजेड़ा के दौरान बाद जॉच प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान द्वारा नामातंकरण संख्या 148 के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

द्वारा रधुवर दयाल ,रामजीलाल पुत्र भौरेलाल,रामचरण पुत्र रधुवर दयाल कौम मीना के द्वारा क्रय की गई आराजी ख0 नं0 281 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा में प्रार्थी का नाम रामकरण के स्थान पर रामचरण दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज वर्तमान रिकार्ड में भी अंकित है जो गलत है प्रार्थी के पूर्व रिकार्ड बयनाम दिनांक 15.05.1982 व नामातंकरण संख्या 148 के अनुसार वर्तमान रिकार्ड में रामचरण पुत्र रधुवर दयाल के स्थान पर राकरण पुत्र रधुवर दयाल दुरस्त किया जान उचित है अंकित किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।तहसीलदार रैणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.05.2018 तथा प्रार्थी की ओर से पुष्टी में प्रस्तुत बयनामा प्रति दिनांक 15.05.1982 बाबत साबिक आराजी ख0 न0 281 वाके ग्राम आकोदा तथा नामातंकरण संख्या 148 मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 नामातंकरण संख्या 427 का भी अवलोकन व निरिक्षण किया। जैसा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन यह रहा है कि प्रार्थी के पिता क्रेता रामकरण पुत्र रधुवर दयाल द्वारा साबिक आराजी ख0 नं0 281 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा जो विक्रेंता कबूल सिंह के हिस्से का नामातंकरण संख्या 148 दर्ज व स्वीकार हुआ है व बयनामा दिनांक 15.05.1982 के विपरित हुआ है अर्थात मुताबिक बयनामा प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकरण नामातंकरण संख्या 148 में दर्ज होना चाहिए था परंतु गलती से रामकरण के स्थान पर रामचरण दर्ज हुआ है उक्त तथ्य की पुष्टी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बयनामा प्रति दिनांक 15.05.1982 के इन्द्राज से होती है कि उक्त बयनामें में रामकरण पुत्र रधुवर दयाल क्रेता का नाम स्पष्ट अंकित है, इसके अतिरिक्त इसी साबिक आराजी का 1/2 हिस्सा का जो नामातंकरण संख्या 427 विक्रेता भीकम सिंह से प्रार्थीगण के पिता रामकरण व अन्य क्रेताओं के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है उसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरण पुत्र रधुवर दयाल दर्ज है से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होने की पुष्टी होती है इसके अतिरिक्त तहसीलदार रैणी व रिपोर्ट पटवारी भजेडा द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होने की पुष्टी करते हुए प्रार्थीगण के पिता का नाम रामचरण के स्थान पर रामकरण मुताबिक बयनामा दिनांक 15.05.1982 के अनुसार दुरस्त किया जाना उचित दर्शाया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2046के अंकित इन्द्राज के अनुसार साबिक ख0 न0 281 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम आकोदा तहसील रैणी से हाल ख0 न0 540/0.46,544/0.95,548/0.48,549/0.50 वाके ग्राम आकोदा तहसील रैणी बनना साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान लैण्ड़ रेवेन्यु एक्ट हाल आराजी खं0 नं0 540/0.46,544/0.95,548/0.48,549/0.50 वाके ग्राम आकोदा तहसील रैणी स्वीकार किया जाता है।हाल रिकार्ड जमाबंदी में अन्य खातेदारों के साथ उक्त आराजी के खातेदारी कालम में जो प्रार्थीगण के पिता रामचरण पुत्र रधुवर दयाल का इन्द्राज दर्ज है उक्त इन्द्राज में से रामचरण का नाम हजफ किया जा कर उसके स्थान पर रामकरण नाम दुरस्त किया जावे शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रैणी को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट भजेड़ा(रैणी) पर जाकर लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी R.AS)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)
कैम्प कोर्ट भजेड़ा (रैणी)